

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान

ए-ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर

द्र:मांक:- एफ.5(थ-18)कोष/पेंशन/एनपीएस/ 4155-4196

दिनांक:- 25/6/12

समस्त कोषाधिकारी

तथा

भुगतान एवं लेखाधिकारी,

बैकानेर हाऊस, पण्डारा रोड

नई-दिल्ली

विषय:- नवीन पेंशन योजना के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि नवीन पेंशन योजना के संबंध में राज्य सरकार एवं निदेशालय द्वारा पूर्व में विस्तृत आदेश/दिशा निर्देश जारी किये गये हैं लेकिन फिर भी कई कोष कार्यालयों द्वारा इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः इस योजना के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे :-

1. कोष कार्यालयों द्वारा कर्मचारियों के राजकीय अंशदान का बिल किसी भी आहरण एवं वितरण अधिकारी से स्वीकार नहीं किया जायेगा। जिले के समस्त अंशदाताओं के राजकीय अंशदान आहरण हेतु उप/सहायक निदेशक, राज्य दीमा को ही राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है।

2. राज्य कर्मचारियों के वेतन से प्राप्त निजि अंशदान के कटौती बजट मद 8011-00-106-03-01 में और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का निजि अंशदान बजट मद 8342-00-117-01-00 में की जायेगी। इस हेतु एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली में पे-आई.डी. क्रमशः 261 और 263 बनायी गयी है।

3. उक्त मद में प्राप्त कटौतियों का बीमा विभाग के प्रतिनिधि द्वारा मिलान कर लिये जाने के बाद अलग-अलग कुल राशि बजट मद 8443-106-00 में खोले गये पी.डी. खाता संख्या 479 में हस्तान्तरित की जायेगी। राशि हस्तान्तरण का कार्य प्रतिमाह महालेखाकार को मासिक लेखा (प्रथम सूची एवं द्वितीय सूची) भिजवाने के साथ ही आदेश जारी कर किया जायेगा। किसी भी स्थिती में अंशदान की राशि को बजट मद में नहीं रखा जायेगा।

4. कोषाधिकारी द्वारा पी.डी. खाता संख्या 479 से मासिक लेखा भेजे जाने के दो कार्य दिवस में दो चेंक आहरित कर (राज्य कर्मचारी एवं अखिल भारतीय सेवा हेतु अलग-अलग) बीमा विभाग के जिला अधिकारी को भिजवाया जायेगा।

5. पी.डी. खाता संख्या 479 ब्याज रहित है। कर्मचारियों को पेंशन अंशदान पर प्रतिफल ट्रस्टी बैंक को हस्तान्तरण के पश्चात ही प्राप्त होता है अतः अंशदान राशि को शीघ्रता के साथ बीमा विभाग को हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित करें। भविष्य में कर्मचारियों द्वारा पी.डी. खाते में संचित राशि पर ब्याज की मांग की जा सकती है।

6. राज्य सरकार के कर्मचारियों/अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के माह अक्टूबर देय नवम्बर के वेतन से पूर्व प्राप्त नवीन पेंशन योजना का निजि एवं राजकीय अंशदान जो कोष कार्यालयों के पी.डी. खाता संख्या 470 में संचित था, राज्य सरकार के निर्देशानुसार बजट मद 8011-106-03 में समायोजित कर दिया गया है और पी.डी. खाता संख्या 470 को बंद कर दिया गया है। यह राशि कर्मचारियों की लिगेसी राशि के रूप में है जिसे बीमा विभाग द्वारा आहरित कर ट्रस्टी बैंक को भेजा जायेगा।

7. बीमा विभाग के अधिकारियों द्वारा लिगेसी राशि बजट मद से आहरित करने हेतु कोष कार्यालय में अधिकार पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली में इसे बिल टाईप ऋण के द्वारा पारित किया जायेगा।

8. पंचायत समिति/जिला परिषद के कर्मचारियों का अंशदान कोष कार्यालय में चालान से स्वीकार नहीं किया जाना है। पंचायत समितियों द्वारा इस अंशदान का चैक सीधे ही बीमा विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा।

9. राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग के जिला कार्यालयों द्वारा सभी कर्मचारियों के नवीन पेंशन योजना के राजकीय अंशदान के एकमुश्त आहरण हेतु राज्य बजट मद में निम्न नवीन बजट मद खोला गया है :-

- 2071 - पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ
- 01 - सिविल
- 117 - निर्धारित अंशदान की पेंशन योजना में सरकार का अंशदान
- (01) - निर्धारित अंशदान की पेंशन योजना में सरकार का अंशदान
- 89 - अंशदायी पेंशन योजना सरकार का अंशदान

उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

भवदीय

हो
निदेशक

क्रमांक:- २६३(ध-१०)कोष/पेंशन/एनपीएस/ ५१९५ ५१९५

दिनांक:- २५-६-१२

प्रतिलिपि:- 1. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा०नि० विभाग।

2. प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, एनआईसी बी-ब्लॉक, वित्त भवन जयपुर।

संयुक्त निदेशक (कोष)